



Haryana Industrial Training Directorate,  
Headquarters: Chandigarh

सेवा में

प्रधानाचार्य,  
सभी प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (हरियाणा राज्य में)।

यादी क०: टी-4/दाखिला/प्राई०आई०टी०आई०/2015-16  
दिनांक

विषय:-

एस०सी०वी०टी० स्कीम के तहत चल रहे व्यवसायों/यूनिट्स का एन०सी०वी०टी० से सम्बन्धन करवाने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

आपको अंतिम चेतावनी देते हुए आदेश दिये जाते हैं कि आप अपने संस्थान में एस०सी०वी०टी० स्कीम के तहत चल रहे व्यवसायों/यूनिटों का एन०सी०वी०टी० से सम्बन्धन करवाने बारे तुरन्त कार्यवाही करें अन्यथा सत्र 2016-17 में आपके संस्थान को एस०सी०वी०टी० स्कीम के तहत चल रहे व्यवसायों/यूनिटों का दाखिला रोकने बारे नियमानुसार कार्यवाही कर ली जायेगी, जिसके लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

- Sel -

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण-4)  
कृते: महा निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,  
हरियाणा।

यादी क०: टी-4/दाखिला/प्राई०आई०टी०आई०/2015-16 - 633 दिनांक 25-5-15

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी

जाती है:-

- 1.
- 2.

सहायक निदेशक प्रशिक्षण-1 (वैबसाईट पर डालने हेतु)।  
प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी, राजकीय आई०टी०आई०, अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, मोडिया खेड़ा (फतेहाबाद), गुडगांव, हिसार, बहादुरगढ़ (झज्जर), जीन्द, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पलवल, पंचकुला, रिवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत तथा यमुनानगर।

for

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण-4)  
कृते: महा निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,  
हरियाणा।